

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक : प.23(2) चि. एवं स्वा.3/2003 पार्ट

दिनांक 10-01-12

अधिसूचना

गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 28 की उपधारा के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार एतद द्वारा, पुलिस द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन अनुसंधान किये गये मामलो में उप निरीक्षक पुलिस से अनिम्न पंक्ति के (Not below the rank of Sub Inspector of Police) पुलिस अधिकारियों को अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

Sd/-


(सत्यप्रकाश बसवाला)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय गृह मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव विधि, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं विशिष्ट शासन सचिव, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक एनआरएचएम, राजस्थान जयपुर।

11. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
12. समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन, राजस्थान।
13. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
14. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
15. निदेशक, जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
16. निदेशक (जन स्वा0)/(प0क0)/(एडस), मुख्यालय।
17. समस्त प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
18. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
19. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
20. समस्त राजस्व उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
21. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
22. समस्त अति0/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प0क0)/
(उपखण्ड) राजस्थान।
23. समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
24. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि
कृपया इसे आज के असाधारण राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करने का
श्रम करें।
25. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव 10/01/12